



न्यायालय माननीय बोर्ड ऑफ रेव्यु न्यू, ग्वालियर कैंप, सागर

कुमारी सविता पुत्री रागसिंह यादव
 साकिन- करौदा तहसील बीना, जिला सागर

.. आवेदिका

// बनाम //

दीपक सिंह ना. बा. बली व पिता राजेन्द्रसिंह
 निवासी- ग्राम कुकावली, तह. मुगावली जिला गुना म. प्र.

... अनावेक्का

नगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता

आवेदिका निम्न प्रार्थना करती है -

यह कि आवेदिका उक्त नगरानी आवेका श्रीमान्
 अति. कमिश्नर, सागर संभाग सागर के प्र. क्र. - 192अ/6/वर्ष
 96-97 आवेका दिनांक 21.01.97से पीड़ित होकर कर रही
 है।

यह कि, विज्ञान अतिरिक्त कमिश्नर महोदय ने उक्त
 प्रकरण को संहिता की धारा 46 के तहत मानकर अपील
 को खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। जबकि प्रकरण
 दिनांक 06.09.97 से संवित है तथा तत्कालीन अतिरिक्त
 कमिश्नर महोदय ने प्रकरण की ग्राह्यता पर बहुत सुनकर
 दिनांक 11.09.97 को स्थगन स्वीकार किया था तथा प्रकरण
 लगभग 6वर्षों तक संवित रहा आया लगभग 40 पेजियां हुईं।
 ऐसी हालत में प्रकरण को खारिज करने का कोई औचित्य ही
 नहीं है तथा कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है।

2-639-III 2003

श्रीमान् दीपक सिंह
 साकिन- करौदा तहसील बीना
 य. फ. क्र. 25-4-03

सा

R- 639. 11/03 (बिना)

27.6.16.

आवेदन को राज को आवेदन
 को दिनांक 15 (दिनांक 15.7.15)
 को दिनांक को दिनांक को दिनांक
 को दिनांक को दिनांक को दिनांक

को दिनांक को दिनांक को दिनांक
 को दिनांक को दिनांक को दिनांक
 को दिनांक को दिनांक को दिनांक
 को दिनांक को दिनांक को दिनांक
 को दिनांक को दिनांक को दिनांक
 को दिनांक को दिनांक को दिनांक

को दिनांक